न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला–भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या : 57/2020 दिनांक :– 11/9/2020

अनुवानी

राजस्थान सरकार बनाम ग्राम पंचायत अरनिया

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 132 एलआरए व नियम 58,59,60,66,86 एल.आर.एक्ट

–:: आदेश ::–

श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय राजस्थान अजमेर के पत्र दिनांक 22.07.2020 द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार आयोजित रास्ता खोलो अभियान – 2020 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत अरनिया द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम अरनिया में बिलानाम भूमि में अरनिया से रेवाड़ा जाने वाला रास्ता स्थित है, किन्तु राजस्व रेकार्ड में उक्त रास्ते कि किस्म गे0मु0पेटा दर्ज है जिसे गेमु0 रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर द्वारा प्रस्ताव तैयार कर अपने पत्रांक राजस्व/20/497 दिनांक 31.08.2020 से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें अंकन किया कि ग्राम अरनिया प0ह0 अरनिया के बिलानाम गैर काबिल काश्त आराजी न0 745 रकबा 12.11 हे0 किस्म गे0मु0पेटा नाड़ी दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजियात में मौके पर ग्राम अरनिया से ग्राम रेवाड़ा जाने का सार्वजनिक रास्ता बना हुआ होकर आवगमन हेतु उपयोग में लिया जा रहा है। किन्तु राजस्व रेकार्ड में उक्त भूमि कि किस्म गेमु0 रास्ता दर्ज नही होकर किस्म गे0मु0 पेटा दर्ज है। उक्तानुसार ग्राम अरनिया प0ह0 अरनिया के बिलानाम गैर काबिल काश्त आराजी न0 745 रकबा 12.11 हे0 किस्म गे0मु0पेटानाड़ी में से 0.32 हे0 भूमि की किस्म गे0मु0पेटा नाडी के बजाय गे0मु0 रास्ता दर्ज करने बाबत प्रस्ताव तैयार किया गया। उक्त गे0मु0पेटा नाडी के बजाय गे0मु0 रास्ता दर्ज करने बाबत प्रस्ताव तैयार किया गया। उक्त प्रस्तावित बिलानाम एवं चरागाह भूमि की किस्म गे0मु0पेटा नाडी के बजाय गे0मु0रास्ता किये जाने बाबत कोई सार्वजनिक आपत्ति जाहिर नही है, तथा ग्राम पंचायत अरनिया को भी कोई आपत्ति नही है इस सम्बन्ध में मौका पर्चा, ग्राम पंचायत अरनिया का प्रस्ताव एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है।

अतः जनहित को दृष्टिगत रखते हुये एवं तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर के पत्रांक राजस्व/20/497 दिनांक 31.08.2020 से की गई अनुशंषा के आधार पर ग्राम अरनिया प0ह0 अरनिया के बिलानाम गैर काबिल काश्त आराजी न0 745 रकबा 12.11 हे0 किस्म गे0मु0पेटानाड़ी में से 0.32 हे0 भूमि की किस्म गे0मु0पेटा नाडी के बजाय गे0मु0रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार सहाड़ा उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जाना सुनिश्चित करें एवं पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करें।

यह आदेश आज दिनांक 11/9/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 15:51:02 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
उपखण्ड़ अधिकारी
गंगापुर, भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner